

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(109/18)/2019/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती शीला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुहावा, खण्ड जवाजा, जिला अजमेर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस. आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 25.05.2018 से 24.05.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 25.05.2020 से 21.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 22.09.2020 से 24.05.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(109/18)/2019/125

दिनांक:- 12/01/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जवाजा (जिला अजमेर)।
3. प्रधानाचार्य, श्री विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आगरा रोड़, कानोता, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर